


आदेश

बिहार पुलिस हस्तक, 1978 के नियम 851(ख) के अंतर्गत पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा अधिरोपित वृहद दण्ड के मूल आदेश के विरुद्ध पुलिस महानिरीक्षक के समक्ष अपील का प्रावधान है।

2. गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना के संकल्प संख्या-6588, दि० 13.08.2019 द्वारा राज्य के पुलिस प्रशासन में प्रक्षेत्र व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। प्रक्षेत्रीय व्यवस्था के समाप्ति के फलस्वरूप बिहार पुलिस हस्तक, 1978 के कतिपय सम्बद्ध नियमों में संशोधन का प्रस्ताव गृह विभाग, बिहार को समर्पित है।
3. तात्कालिक व्यवस्था के रूप में क्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षकों द्वारा अधिरोपित वृहद दण्ड की स्थिति में अपील की सुनवाई हेतु पुलिस महानिरीक्षक (बजट/अपील/कल्याण), बिहार, पटना को प्राधिकृत किया जाता है।
04. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

पुलिस महानिदेशक, बिहार के आदेशानुसार


31.10.19
अपर पुलिस महानिदेशक(मुख्यालय)
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 549/445686 / पी०-१


4-9-32-19

पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक- 31.10.2019

प्रतिलिपि :-

1. सभी महानिदेशक, बिहार को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
2. सभी अपर पुलिस महानिदेशक, बिहार को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
3. सभी पुलिस महानिरीक्षक (रेल/इकाई सहित), बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
4. पुलिस महानिरीक्षक (बजट/अपील/कल्याण), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
5. सभी पुलिस उप महानिरीक्षक (रेल/इकाई सहित), बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
6. पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
7. सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक (रेल/इकाई सहित)/समादेष्टा को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
8. सभी प्रशाखा पदाधिकारी, पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
9. आई०टी० प्रबंधक, पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।


31.10.19
अपर पुलिस महानिदेशक(मुख्यालय)
बिहार, पटना।